उत्तर प्रदेश शासन
सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1
संख्या: 4/2018/775/44-1-2018-71/2014
लखनऊ : दिनांक : 20 सितम्बर, 2018

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो (समूह ''क'' और समूह ''ख'' के आर्थिक और प्राविधिक पद) सेवा नियमावली,1993 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो (समूह 'क' और समूह 'ख' के आर्थिक और प्राविधिक पद) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2018

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1.(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो (समूह 'क' और समूह 'ख'के आर्थिक और प्राविधिक पद) सेवा (प्रथम संशोधन)नियमावली,2018 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी1

नियम 4 का संशोधन

2.उत्तर प्रदेश सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो (समूह 'क' और समूह 'ख' के आर्थिक और प्राविधिक पद) सेवा नियमावली, 1993, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में, नियम 4 में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान उप-नियम (2) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उप-नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ 1 **विद्यमान उप-नियम**	**स्तम्भ 2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप-नियम**
(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी नीचे दी गई है:-	**(2)** जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी नीचे दी गई है:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्र0सं0	पद का नाम	पदों की संख्या			क्र0सं0	पद का नाम	पदों की संख्या		
		स्थायी	अस्थायी	योग			स्थायी	अस्थायी	योग
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.	निदेशक(सामान्य प्रबन्ध)	1	-	1	1.	निदेशक(सामान्य प्रबन्ध)	01	-	01
2.	निदेशक(वित्तीय प्रबन्ध)	-	1	1	2.	संयुक्त निदेशक	02	-	02
3.	निदेशक(निर्माण प्रबन्ध)	-	1	1	3.	उप निदेशक	05	-	05
4.	संयुक्त निदेशक	1	1	2	4.	शोध अधिकारी	09	-	09
5.	उप निदेशक	3	2	5	5.	शोध अधिकारी (इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग)	01	-	01
6.	शोध अधिकारी	7	2	9					
7.	शोध अधिकारी (इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग)	-	1	1					
परन्तु यह कि:- (एक) नियुक्त प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा, या (दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।					परन्तु यह कि:- (एक) नियुक्त प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा, या (दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।			

नियम 5 का प्रतिस्थापन 3. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 5 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात्:-

स्तम्भ 1 विद्यमान नियम	स्तम्भ 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
भर्ती का स्रोत 5 (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:-	**भर्ती का स्रोत 5.(1)** सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(एक) निदेशक-आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	**(एक) निदेशक(सामान्य प्रबन्ध)-** मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे संयुक्त निदेशकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
(दो) संयुक्त निदेशक- (क) 50 प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (ख) 50 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त उपनिदेशकों में से आयोग के परामर्श से पदोन्नति द्वारा, जिन्होंने भर्ती के वर्ष की पहली जुलाई को इस रूप में कम से कम सात वर्ष की निरन्तर सेवा कर ली हो।	**(दो) संयुक्त निदेशक-** (क) पचास प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (ख) पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उप निदेशकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
(तीन) उपनिदेशक- (क) 50 प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (ख)50 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त शोध अधिकारियों में से आयोग के परामर्श से पदोन्नति द्वारा,जिन्होंने भर्ती के वर्ष की पहली जुलाई को इस रूप में कम से कम पॉच वर्ष की निरन्तर सेवा कर ली हो।	**(तीन) उपनिदेशक-** (क) पचास प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (ख) पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे शोध अधिकारियों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पॉच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(चार) शोध अधिकारी- (क) 50 प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (ख) 50 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ज्येष्ठ प्राविधिक सहायकों और शोध सहायकों में से आयोग के परामर्श से पदोन्नति द्वारा, जिन्होंने पहली जुलाई को इस रूप में कम से कम पॉच वर्ष की निरन्तर सेवा कर ली हो। **टिप्पणी-** ज्येष्ठ प्राविधिक सहायकों और शोध सहायकों की एक संयुक्त पात्रता सूची तैयार की जायेगी जिसमें ज्येष्ठ प्राविधिक सहायकों के नाम पहले और शोध सहायकों के नाम बाद में रखे जायेंगे। **(पॉच) शोध अधिकारी**(इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग):- मौलिक रूप से नियुक्त शोध सहायकों (इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग) में से आयोग के परामर्श से पदोन्नति द्वारा द्वारा, जिन्होंने भर्ती के वर्ष की पहली जुलाई को इस रूप में कम से कम पॉच वर्ष की निरन्तर सेवा कर ली हो। (2) यदि किसी कनिष्ठ व्यक्ति को पात्रता के क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है तो उससे ज्येष्ठ व्यक्ति को इस तथ्य के होते हुये भी कि उसने अपेक्षित सेवा की	**(चार) शोध अधिकारी-** (क) पचास प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (ख) पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे ज्येष्ठ प्राविधिक सहायकों और शोध सहायकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पॉच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा। **टिप्पणी-** ज्येष्ठ प्राविधिक सहायकों और शोध सहायकों की एक संयुक्त पात्रता सूची तैयार की जायेगी जिसमें ज्येष्ठ प्राविधिक सहायकों के नाम पहले और शोध सहायकों के नाम उसके बाद रखे जायेंगे। **(पॉच) शोध अधिकारी**(इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग):- मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे शोध सहायकों (इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पॉच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा। (2) यदि किसी कनिष्ठ व्यक्ति को पात्रता के क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है तो उससे ज्येष्ठ व्यक्ति को इस तथ्य के होते हुये भी कि उसने अपेक्षित सेवा की

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अवधि पूरी नहीं की है, सम्मिलित किया जायगा। (3) किसी भी श्रेणी के पदों पर, सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अभ्यर्थियेां की सदस्य संख्या किसी भी स्थिति में उस श्रेणी की कुल सदस्य संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक न होगी।	अवधि पूरी नहीं की है, सम्मिलित किया जायगा। (3) किसी भी श्रेणी के पदों पर, सीधे भर्ती किये गये अभ्यर्थियों की सदस्य संख्या, किसी भी स्थिति में उस श्रेणी की कुल सदस्य संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक न होगी।

<u>नियम 10 का प्रतिस्थापन</u>4. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 10 के स्थान पर नीचे स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

स्तम्भ 1 **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ 2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
<u>आयु 10.</u> विभिन्न श्रेणियों के पदों पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ विज्ञापित की जांय, की पहली जुलाई, को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और नीचे दर्शायी गयी आयु से अधिक आयु प्राप्त न की हो:- 1. निदेशक----------50 वर्ष 2. संयुक्त निदेशक----------45 वर्ष 3. उप निदेशक----------40 वर्ष 4. शोध अधिकारी----------32 वर्ष 5. शोध अधिकारी----------32 वर्ष (इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग)	<u>आयु 10.</u> विभिन्न श्रेणियों के पदों पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ विज्ञापित की जांय, की पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और नीचे दर्शायी गयी आयु से अधिक आयु प्राप्त न की हो:- 1. संयुक्त निदेशक ----------45 वर्ष 2. उप निदेशक----------40 वर्ष 3. शोध अधिकारी----------40 वर्ष

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जांय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।	परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जांय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

<u>नियम 14 का प्रतिस्थापन</u> 5. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 14 के स्थान पर नीचे स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ 1 **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ 2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
<u>रिक्तयों की अवधारणा 14-</u> नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा।	**<u>रिक्तयों की अवधारणा 14-</u>** नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के साथ-साथ नियम6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। आयोग के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियॉं उनको सूचित की जायेंगी।

<u>नियम 15 का संशोधन</u> 6. उक्त नियमावली में, नियम 15 में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान उप-नियम(3) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उप-नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

स्तम्भ 1 विद्यमान उप-नियम	स्तम्भ 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप-नियम
(3) आयोग अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो एक सूची तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो आयोग सेवा के लिये उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर उनके नाम योग्यता क्रम में रखेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक होगी) आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।	(3) आयोग अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो एक सूची तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो आयोग सेवा के लिये उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर उनके नाम योग्यता क्रम में रखेगा। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

<u>नियम 16 का</u> प्रतिस्थापन 7. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 16 के स्थान पर नीचे स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ 1 विद्यमान नियम	स्तम्भ 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
<u>पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया</u> 16. संयुक्तनिदेशकऔर शोध अधिकारी के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती श्रेष्ठता के आधार पर, और उपनिदेशक और शोध अधिकारी (इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग) के पद पर, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श	**<u>पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया</u> 16.** सेवा में संयुक्तनिदेशकऔर शोध अधिकारी के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती श्रेष्ठता के आधार पर, और उपनिदेशक के पद पर, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के अनुसार अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए जयेष्ठता के आधार पर की जाएगी।	के अनुसार अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, जयेष्ठता के आधार पर की जाएगी।

<u>नये नियम 16-क का बढ़ाया जाना</u> 8. उक्त नियमावली में, विद्यमान नियम 16 के पश्चात् निम्नलिखित नया नियम बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-

विभागीय चयन समिति माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया 16क (1) सेवा में निदेशक(सामान्य प्रबन्ध) और शोध अधिकारी (इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग)के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिये) नियमावली,1992 के उपबन्धों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये मानदण्ड) नियमावली,1994 में दिये गये मानदण्ड के आधार पर की जायेगी।

<u>टिप्पणी-</u> चयन समिति में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकारियों का नाम-निर्देशन, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम,1994 की धारा 7 के अधीन दिये गये आदेश के अनुसार किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2)नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूची समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार तैयार करेगा और इसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जांय, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3)चयन समिति उप-नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4)चयन समिति ज्येष्ठता क्रम में चयनित अभ्यर्थियों की एक सूची, जैसा की यह उस संवर्ग में थी जिस संवर्ग से उनकी पदोन्नति की जानी हो, तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

<u>नियम 18 का संशोधन</u> 9. उक्त नियमावली में, नियम 18 में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान उप-नियम(1) के स्थान पर नीचे स्तम्भ 2 में दिया गया उप-नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ 1 **वर्तमान उप- नियम**	**स्तम्भ 2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप-नियम**
(1) उप-नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे यथास्थिति, नियम 15, 16 या 17 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियॉं करेगा।	**(1)** उप-नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे यथास्थिति, नियम 15, 16, 16-क या 17 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियॉं करेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>नियम 19 का प्रतिस्थापन</u> 10. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 19 के स्थान पर नीचे स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ 1 विद्यमान नियम	स्तम्भ 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
परिवीक्षा 19.(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को, दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जाएगा।	**परिवीक्षा 19.(1)** सेवा में किसी पद पर मौलिक नियुक्त पर किसी व्यक्ति को समय-समय पर यथा संशोधित उ0प्र0 सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के अनुसार परिवीक्षा पर रखा जायेगा।
(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों, से जो अभिलिखित किये जाएंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाएगा जब तक अवधि बढ़ायी जाय: परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जाएगी।	**(2)** यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।
(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का	**(3)**ऐसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप-नियम (2) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप-नियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायं किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

<u>नियम 22 का संशोधन</u> 11.उक्त नियमावली में, नियम 22 में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान उप-नियम(2) स्थान पर नीचे स्तम्भ 2 में दिया गया उप-नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ 1 **विद्यमान उप- नियम**	**स्तम्भ 2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप-नियम**
(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान निम्न प्रकार हैं:-	(2) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो (समूह 'क' और समूह 'ख' के आर्थिक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

और प्राविधिक पद) सेवा(प्रथम संशोधन) नियमावली, 2018 के प्रारम्भ के समय के वेतनमान निम्नलिखित हैं-

क्र0 सं0	पद का नाम	वेतनमान	क्र0 सं0	पद का नाम	वेतनमान
1.	निदेशक(सामान्य प्रबन्ध)	4100-125-4850-150-5300 रूपये	1.	निदेशक(सामान्य प्रबन्ध)	वेतन मैटिक्स लेवल-13 (रू0 123100-215900)
2.	निदेशक(वित्तीय प्रबन्ध)	4100-125-4850-150-5300 रूपये	2.	संयुक्त निदेशक	वेतन मैटिक्स लेवल-12 (रू0 78800-209200)
3.	निदेशक(निर्माण प्रबन्ध)	4100-125-4850-150-5300 रूपये	3.	उप निदेशक	वेतन मैटिक्स लेवल-11 (रू0 67700-208700)
4.	संयुक्त निदेशक	3700-125-4700-150-5000 रूपये	4.	शोध अधिकारी	वेतन मैटिक्स लेवल-10 (रू0 56100-177500)
5.	उप निदेशक	3000-100-3500-125-4500 रूपये	5.	शोध अधिकारी (इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग)	वेतन मैटिक्स लेवल-10 (रू0 56100-177500)
6.	शोध अधिकारी	2200-75-2800-द0रो0-100-4000 रूपये			
7.	शोध अधिकारी (इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग)	2200-75-2800-द0रो0-100-4000 रूपये			

<u>नियम 24 का विलोपन</u> 12. उक्त नियमावली में, नियम 24 को निकाल दिया जायेगा।

<u>परिशिष्ट का संशोधन</u> 13. उक्त नियमावली में, परिशिष्ट में, उसकी स्तंभवार प्रविष्टियों सहित क्रम संख्या 1, 2, 3 तथा 7 निकाल दी जायेगी।

आज्ञा से,

(डा0 पी0वी0 जगनमोहन)
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in